प्रकरण संख्या 93/2023 अनवान सतपाल सिंह वगैरा
बनाम बलजीत सिंह वगैरा अ0धा0 251-ए आरटीएक्ट
निर्णय 20.11.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या-93/2023 निर्णय दिनांक -20.11.2024
(जी.सी.एम.एस.-2023/168)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

अनवान-

1- सतपाल सिंह पुत्र श्री मेवा सिंह जाति जटसिख निवासी 39 जी0बी0 तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।
2- कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह जाति जटसिख निवासी 39 जी0बी0 तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ।
3- चरनपाल सिंह पुत्र श्री मेवा सिंह जाति जटसिख निवासी 39 जी0बी0 तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।
4- नवजोत सिंह पुत्र श्री कुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 39 जी0बी0 तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।

..........प्रार्थीगण.........

बनाम-

1- बलजीत सिंह पुत्र श्री धरम सिंह जाति जटसिख निवासी 12 जीएम तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।
2- बग्गा सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह जाति जटसिख निवासी हाई स्कूल के पीछे 39 जी0बी0 निवासी श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।
3- राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर ।

......अप्रार्थीगण......

उपस्थिति-

01- श्री नरेश पूरी, वकील प्रार्थी।
02- पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर।

::-निर्णय ::-

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि:-

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 39 जी0बी0 तहसील श्रीविजयनगर के मुरब्बा नम्बर 17 व 14 प्रत्येक के बीघा संख्या 5, 6, 15, 16, 25 में चल रास्ता 16 फूट को स्वीकृत किया जावे तथा रास्ता का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीविजयनगर [illegible] प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा भू-अ0नि0 वृत 40 जी0बी0 एवं पटवारी हल्का 40 जी0बी0 की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रेषित किया गया। भू-अ0नि0 एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार चक 39 जी0बी0 [illegible] चक 35 जी0बी0 में जाने व अन्य जोतों तक पहुंचने हेतु रास्ते की आवश्यकता [illegible] चक 39 जी0बी0 से चक 35 जी0बी0 में जाने हेतु व अन्य जोतों तक पहुंचने हेतु प.न. 195/426 (14) व 195/427 (17) प्रत्येक के कि.न. 5, 6,15,16,25 प्रत्येक किला में उक्त लगभग 16

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.11 10:34:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फीट चौड़ा रास्ता जो स्वीकृतशुदा नहीं हैं, परन्तु मौके पर समझाईश से पिछले 10 वर्षों अधिक समय से रास्ता चालू हैं व वर्तमान में भी इसी रास्ते का उपयोग वैकल्पिक रास्ते के रूप में हो रहा हैं। उपर्युक्तानुसार वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में आपसी सहमति से सुचारु रूप से चालू हैं। वर्तमान में इस रास्ते के उपर्युक्तानुसार चालू रहने में कोई विवाद नहीं है तथा सभी पक्ष सहमत हैं। उपयुक्त रास्ते के चालू रहने के कारण अन्य विकल्प की आवश्यकता नहीं हैं। अन्य किसी लघुत्तम मार्ग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं हैं। अन्य किसी प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता नहीं हैं। उपर्युक्तानुसार प.न. 195/426(14) व 195/427 (17) प्रत्येक के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 में से चालू उपर्युक्त घरेलू रास्ता दोनों पक्षों की खातेदारी भूमि में से ही गुजरता है तथा सभी पक्ष उक्त रास्ते को इसी प्रकार आपसी सहमती से चालू रखने में सहमत हैं। पूर्व में उक्त रास्ते के चिपती भूमि में बलजीत सिंह पुत्र धर्म सिंह जाति जटसिख की भूमि होने के कारण उसके द्वारा रास्ता बन्द कर दिया गया था जो बाद में आपसी समझाईश से खुलवाया गया। वर्तमान में उक्त बलजीत सिंह द्वारा उक्त रास्ते के चिपती भूमि में अपने हिस्से की समस्त भूमि बेचान कर दी गई है। अतः वर्तमान में उक्त रास्ते के आपसी सहमति से चालू रहने में किसी पक्ष को कोई आपति नहीं है तथा सभी सहमत हैं (फर्द मौका संलग्न है)।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर एंव प्रस्तुत मौका नक्शा का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के अनुसार प्रार्थी को अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं। अतः यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग का अभाव हैं एवं प्रार्थी की रास्ता की मांग सुखाधिकार के लिए न होकर आत्यांतिक आवश्यक्ता हैं। मुताबिक रिपोर्ट वांछित मार्ग ही निकटतम मार्ग हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमति जताई हैं।

-: क्रियान्वयन आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर चक 39 जी0बी0 के प.न. 195/426(14) व 195/427 (17) प्रत्येक के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 में 16-16 फूट प्रत्येक में रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ते में आई भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्व अप्रार्थीगण को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही स्वीकृत रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि की प्राप्ति में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक 20/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.11 10:34:16 IST
Reason: SelfAttested

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीविजयनगर, अनूपगढ़

Scanned with CamScanner